**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 1382 OF 2024

IN THE MATTER OF:
ALOK SINGH …..APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND

CLIMATE CHANGE & ORS. …….RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE TO THE APPLICANT'S ADDITIONAL SUBMISSIONS ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 & 3 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.01.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 10.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE REPORT DT. 30.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF THE LETTER DT. 26.02.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF THE LETTER DT. 06.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

6.	**COPY OF THE LETTER DT. 07.03.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5**	
7.	**COPY OF THE REPORT DT. 01.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	
8.	**COPY OF THE H2 CASE DT. 08.03.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7**	
9.	**COPY OF THE LETTER DT.16.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8**	
10.	**COPY OF THE STATEMENT OF THE ACCUSED ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-9**	
11.	**COPY OF THE SCHEDULE OF RATES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-10**	
12.	**COPY OF THE E-3 RECEIPT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-11**	
13.	**COPY OF THE PHOTOS OF TIMBER ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-12**	
14.	**COPY OF THE LIST OF TIMBER ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-13**	
15.	**COPY OF THE LETTER DT. 10.03.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-14**	
16.	**COPY OF THE ORDER DT. 19.03.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-15**	
17.	**COPY OF THE LETTER DT. 31.03.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-16**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 17.04.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1382 OF 2024

IN THE MATTER OF:
ALOK SINGH .....**APPLICANT**

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. ....**RESPONDENT(s)**

RESPONSE TO THE APPLICANT'S ADDITIONAL SUBMISSIONS ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 & 3 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.01.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **RAM KUMAR**, aged about **56** years S/o **Shri Babu Ram Verma**, presently posted as **Director, Kukrail Night Safari Park, Lucknow** do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

NOTARY SURESH KUMAR Adv. & Notary Distt. Lucknow R. No. 31 (89)09 GOVT. OF UP INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal vide order dt. 30.01.2026 directed as under:

"4. Learned Senior Counsel for the Respondent No. 2 and 3 submits that the grievance raised in the additional submissions dated 28.01.2026 will be duly looked into and appropriate action will be taken.

5. Let the response to the additional submissions dated 28.01.2026 alongwtih the details of the action taken be filed by the Respondents No. 2 and 3 within four weeks."

4. That vide letter dt. 10.04.2026 the DFO, Awadh Forest Division, Lucknow, U.P. after examining the submissions of the Applicant in the Additional Submissions dt. 28.01.2026 submitted a report to the Office of the Chief Conservator of Forests, Lucknow Circle, Lucknow.

A Copy of the letter dt. 10.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

5. That the said report states as under:

NOTARY
SURESH KUMAR
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89)09
GO'T. OF UP INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/T4, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

I. SITE INSPECTION ON 30.12.2025

6. That the complainants, Shri Alok Singh and Shri Abhishek Pandey, informed the Forest Department telephonically that illegal felling was taking place in the Kukrail Reserved Forest area and that a large number of teak and shisham trees were being cut.

7. That upon receiving this information, a joint and intensive field inspection of the site was conducted on 30.12.2025 by the Divisional Forest Officer, Awadh Forest Division, Lucknow, U.P. along with the Range Forest Officer, Kukrail, the concerned Section In-charge, and Beat In-charge. That during the said inspection, the Shri Abhishek Pandey, representing the complainant Shri Alok Singh, was present and guided the team to the alleged site. **However, no fresh illegal felling was found at the location. During the inspection, 2–3 tree stumps and some dry/fallen branches were observed, which appeared to have fallen due to natural causes such as rain and storms.**

NOTARY SURESH KUMAR Adv. & Notary Distt. Lucknow R. No. 31 (89)09 GO'T. OF UP INDIA

8. That after the aforesaid inspection, the following directions were issued to the Range Forest Officer, Kukrail, vide letter dated 30.12.2025:
   - One forest official should be deployed for night patrolling.
   - Continuous patrolling should be ensured by the Section In-charge and Beat In-charge.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

- In case of any information regarding illegal felling in the reserved forest area, immediate FIR should be lodged and provisions of the Indian Forest Act, 1927 should be enforced.
- Officer In-charge, Forest Protection Squad should coordinate with Kukrail Range to prevent any illegal or unethical activities in the reserved forest area.

A Copy of the letter dt. 30.12.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

II. FORMATION OF INQUIRY COMMITTEE

9. That after the order of the Hon'ble Tribunal, an inquiry committee was constituted under the chairmanship of the Sub-Divisional Forest Officer, Lucknow, vide Letter dated 26.02.2026, comprising:

- Shri Chandan Chaudhary, Sub-Divisional Forest Officer, Lucknow – Chairman
- Shri Kamlesh Kumar, Range Forest Officer, Kukrail – Member
- Shri Atijit Joshi, Deputy Range Forest Officer, Kukrail – Member

A Copy of the letter dt. 26.02.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

NOTARY SURESH KUMAR Adv. & Notary Distt. Lucknow R. No. 31 (89)09 GO'T. OF UP INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

III. FINDINGS OF THE INQUIRY COMMITTEE

10. That the aforesaid inquiry committee conducted a detailed field inspection on 07.03.2026 and submitted its report vide letter dated 06.04.2026.

A Copy of the letter dt. 06.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

11. That during the inspection on 07.03.2026, **four old teak stumps were found with girths of 0.28 m, 0.41 m, 0.49 m, and 0.52 m respectively**.

12. That the Sub-Divisional Forest Officer, Lucknow issued the following directions to the Range Forest Officer, Kukrail vide letter dated 07.03.2026:

- **Immediate legal action should be ensured as per forest laws regarding the four teak stumps found during inspection.**
- Surprise raids/patrolling should be conducted in suspected areas for recovery of timber.
- An informer network/local surveillance system at the village level should be developed to prevent illegal activities.
- A range-level team should be constituted for regular patrolling and monitoring of the forest area.

NOTARY
SURESH KUMAR
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89)09
GOVT. OF UP INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

- 24-hour surveillance should be ensured at all entry and exit points of the Kukrail Reserved Forest by deploying personnel.
- A list of sensitive locations should be prepared and weekly inspection reports should be submitted to the Divisional Office.
- Inspection of the Kukrail Reserved Forest should be carried out regularly and proper disposal of timber from dried or storm-felled trees should be ensured as per rules.

A Copy of the letter dt. 07.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

I. <u>ACTION TAKEN REPORT BY THE FOREST DEPARTMENT</u>

NOTARY SURESH KUMAR Adv. & Notary Distt. Lucknow R. No. 31 (89)09 GO'T. OF UP INDIA

13. That in compliance with the above directions, the Range Forest Officer, Kukrail Range submitted a report vide Letter dated 01.04.2026, stating as follows:

(a) **That four teak stumps with girths of 0.28 m, 0.41 m, 0.49 m, and 0.52 m** were found in the forest area behind Jarhara Temple in the Kukrail Reserved Forest.

(b) In this regard, Shri Nirbhay Mishra, Forest Guard/Beat In-charge, Kukrail East, registered **H-2 Case No. 23/2025-26 dated 08.03.2026 under Section 26 of the Indian Forest Act, 1927 against the accused**

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

Chhotai, son of Ram Balak, resident of the nearby area Kursi Road, Rajouli, Police Station Gudamba, Lucknow.

A Copy of the report dt. 01.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

A Copy of the H2 Case dt. 08.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

(c) For investigation of the said case, **Shri Vivek Tiwari, Forester, Kukrail Range, was appointed as the Investigating Officer**. As per report dated 30.03.2026 of IO, **the timber related to the case has been recovered and has been kept in the Kukrail Range premises and duly recorded in official records.**

(d) That based on the investigation report, a penalty of **Rs. 32,000 (Rupees Thirty-Two Thousand only)** was imposed upon the accused.

(e) That the said offense was admitted by the offender and the compounding amount of Rs. 32,000/- has been recovered from the **accused vide E-3 No. 4414/028 dated 30.03.2026.**

(f) That the said amount has been calculated as under:

One teak tree in girth class 0–10 and three teak trees in girth class 10–20.

As per the prescribed schedule of rates:

289.00 × 1 + Rs. 945.00 × 3 = Rs. 3,124.00 or Rs. 3,200.00 (Rupees Three Thousand Two Hundred only).

NOTARY
SURESH KUMAR
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89)09
GO'T. OF UP INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

Ten times of this amount, i.e., **Rs. 32,000/-**, has been recovered as compounding amount.

(g) That the said compounding has been confirmed by the Chief Conservator of Forests vide compounding letter dt. 16.04.2026.

A Copy of the letter dt. 16.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

(h) The Section In-charge and Beat In-charge, Kukrail East, have conducted inspections and prepared a list of dried and storm-felled timber after proper marking. Further action for disposal is being carried out accordingly.

A Copy of the statement of the accused has been annexed herewith as **ANNEXURE R-9.**

A Copy of the schedule of rates has been annexed herewith as **ANNEXURE R-10.**

A Copy of the E-3 Receipt has been annexed herewith as **ANNEXURE R-11.**

Copies of the photos of the timber have been annexed herewith as **ANNEXURE R-12.**

A Copy of the list of timber has been annexed herewith as **ANNEXURE R-13.**

NOTARY
SURESH KUMAR
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89)09
GO'T. OF UP INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

14. That a range-level team has been constituted vide letter dated 10.03.2026 for continuous monitoring of the reserved forest area, as detailed below:

i. Night Patrolling (7:00 PM to 7:00 AM):

Shri Dinesh Kumar (Forester, Team Leader),

Shri Nirbhay Mishra (Forest Guard),

Shri Dileep Singh (Mali)

ii. Day Patrolling (7:00 AM to 7:00 PM):

Shri Vivek Tiwari (Forester, Team Leader),

Shri Ram Milan (Mali),

Shri Gangasharan (Mali)

A Copy of the letter dt. 10.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-14.**

NOTARY
SURESH KUMAR
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89)09
GO'T. OF UP INDIA

II. <u>DISCIPLINARY ACTION</u>

15. That in the present matter, disciplinary action has been initiated against **Shri Himanshutosh Kumar Pandey, Forest Guard,** for disobeying instructions of senior officers and for not taking timely legal action, vide Forest Order No. 96/2-42 dated 19.03.2026, by issuing a charge sheet.

A Copy of the order dt. 19.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-15.**

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09
17 APR 2026

16.Further, the concerned Section In-charge Shri Prashant Singh Chauhan, Forester, has been removed from Kukrail East Section and attached to Kukrail Range Office vide letter dated 31.03.2026 issued by the Range Forest Officer, Kukrail.

A Copy of the letter dt. 31.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-16.**

17.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY
SURESH KUMAR
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89)09
GO'T. OF UP INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at **Lucknow** on this **17th** day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 17 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Solemnly affirmed before me in office today at 10:30 AM by Ram Kumar
who is identified by Shri Self
Clerk to Shri

I have satisfied my self by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which has been read out and explained by me

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17 APR 2026

DEPONENT

ANNEXURE R-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 8091 / 33-1 लखनऊ, दिनांक, अप्रैल, 10 2026.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषयः– शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के बिंदुओ की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, कुकरैल नाईट सफारी पार्क, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–144/30–3/कु0ना0स0 पार्क/2025–26 दिनांक 18.02.2026 एवं पत्रांक–175/30–3/कु0ना0स0 पार्क/2025–26 दिनांक 25.03.2026 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–7954/33–1 दिनांक 06.04.2026.

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह द्वारा की गयी शिकायत से संबंधित जांच आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या–7954/33–1 दिनांक 06.04.2026 द्वारा प्रेषित की गई थी। **उक्त विषयक प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त मौखिक निर्देश के कम में उक्त जांच से संबंधित अन्य बिन्दुओ को समाहित करते हुए पुनः जांच आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–**

शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह एवं श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा यह अवगत कराया गया कि कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान का कार्य चल रहा है एवं अधिक से अधिक संख्या में सागौन एवं शीशम के पेड़ो को काटा जा रहा है। यह सूचना मिलने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.12.2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं संबंधित सेक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी को निर्देशित करते हुए स्वयं मौके स्थल का संयुक्त रूप से सघन स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह के प्रतिनिधि के रूप में श्री अभिषेक पाण्डेय मौजूद रहे एवं उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी एवं कुकरैल रेंज की टीम को शिकायती स्थल पर ले जाया गया, परन्तु वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ताजा अवैध कटान नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा एवं टीम के द्वारा निरीक्षण में 02–03 वृक्षों के स्टम्प पाये गये एवं कुछ सूखी/गिरी हुई शाखाएं पायी गयी, जो कि संभवतः प्राकृतिक कारणों, बारिश एवं ऑधी से गिरी हुई प्रतीत हुई। उक्त स्थलीय निरीक्षण उपरान्त वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–419/टी0सी0/17–1 दिनांक 30.12.2025 **(संलग्नक–1)** द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निम्न प्रकर निर्देश दिये गये–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि 01 सुरक्षा श्रमिक की ड्यूटी रात्रि में गश्त हेतु लगायी जाये।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि संबंधित सेक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी निरंतर गश्त की कार्यवाही सतत जारी रखी जाए।
3. यदि आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल अभियुक्तो के विरूद्ध संबंधित थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ–साथ भारतीय वन अधिनियम, 1927 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. प्रभारी वन सुरक्षा बल को निर्देशित किया गया कि कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी अवैध कटान एवं अनैतिक गतिविधि न होने पाये इस हेतु कुकरैल रेंज से समन्वय स्थापित करते हुए अपनी टीम के साथ यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी प्रकार से अवैध गतिविधि न होने देना सुनिश्चित किया जाए।

2– महोदया, उपर्युक्त विषयक प्रकरण में उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह द्वारा की गई शिकायत के कम में प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–6967/9–1 दिनांक 26.02.2026 **(संलग्नक–2)** द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में निम्न प्रकार जांच समिति का गठन किया गया–

1. श्री चन्दन चौधरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ–अध्यक्ष।
2. श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल–सदस्य।
3. श्री अतिजित जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी–कुकरैल–सदस्य।

3– उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट अपने पत्रांक–7948/33–1, एस.डी.ओ.(एल.) दिनांक 06.04.2026 **(संलग्नक–3)** द्वारा उपलब्ध करायी गई है, जिसके अनुसार उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 07 मार्च 2026 को श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं श्री अतिजित जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल तथा श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक व अन्य स्टाफ के साथ कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान से संबंधित शिकायती स्थल का सघन निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टम्प (ठूंठ) पाये गये, जिनकी गोलाई क्रमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0, पायी गयी, किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया। निरीक्षण उपरान्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्रांक–571/9–1 एस0डी0ओ0–एल0, दिनांक 07.03.2026 **(संलग्नक–4)** द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निम्न प्रकार कार्यवाही के निर्देश दिये गये–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान मिले 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प (ठूंठ) जिनकी गोलाई क्रमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0 पायी गयी, के संबंध में तत्काल वन अधिनियमों के अनुसार नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. प्रकाष्ठ बरामदगी हेतु संदिग्ध क्षेत्रों में औचक छापा/गश्त की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
3. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में कोई अवैधानिक गतिविधि न हो इस हेतु मुखबिर तंत्र/स्थानीय निगरानी, ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया जाए।
4. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि न हो इस हेतु रेंज स्तर पर टीम गठित कर वन क्षेत्र की नियमित गश्त/निगरानी की कार्यवाही की जाए।
5. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र की सभी प्रवेश एवं निकास द्वार पर कार्मिको की ड्यूटी लगाकर 24 घण्टे सतत् निगरानी बरती जाए।
6. संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
7. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए तथा सूखे एवं आंधी–तूफान में गिरे उखड़े पेड़ो की प्रकाष्ठ का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

4– उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज ने अपने पत्रांक–364/2–1 दिनांक 01.04.2026 **(संलग्नक–5)** द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ को आख्या प्रेषित करते हुए निम्न प्रकार अवगत कराया गया कि–

1. उक्त प्रकरण में कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र जरहरा मंदिर के पीछे वन क्षेत्र में 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प बूट गोलाई 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0 एवं 0.52 मी0 पाये गये थे, जिसके क्रम में श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक/बीट प्रभारी, कुकरैल पूर्वी द्वारा मौके की जांच कर कुकरैल रेंज एच–2 केस संख्या–23/2025–26, दिनांक 08.03.2026 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–26 के अन्तर्गत केस इजरा कर विधिक कार्यवाही की गई।
2. उक्त प्रकरण में जारी कुकरैल रेंज एच–2 केस संख्या–23/2025–26, दिनांक 08.03.2026 की जांच हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल द्वारा श्री विवेक तिवारी, वन दरोगा, कुकरैल रेंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.2026 के अनुसार उक्त केस से सम्बन्धित प्रकाष्ठ बरामद कर लिया गया है तथा बरामद प्रकाष्ठ अभिलेखों में दर्ज कर उसके निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त से प्रतिकर स्वरूप धनराशि रू 32000.00 (रू0 बत्तीस हजार मात्र) ई–3 संख्या–4414/029 दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज ने अपने कार्यालय पत्रांक–341/2–1, दिनांक 10.03.2026 **(संलग्नक–6)** द्वारा रेंज स्तर पर निम्न प्रकार टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र की सतत् निगरानी की जा रही है–

क0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	समय
1	श्री दिनेश कुमार, वन दरोगा (टीम लीडर) श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक श्री दिलीप सिंह, माली	रात्रि में गस्त (समय सायं 07 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक)
2	श्री विवेक तिवारी, वन दरोगा (टीम लीडर) श्री राम मिलन, माली श्री गंगाशरण, माली	दिन में गस्त (समय प्रातः 07 बजे से सायं 07:00 बजे तक)

4. समिति की रिपोर्ट के अनुसार सेक्शन प्रभारी व बीट प्रभारी कुकरैल पूर्वी द्वारा कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए सूखे एवं आंधी–तूफान में गिरे उखड़े पेड़ो/प्रकाष्ठ का चिन्हांकन करते हुए सूची तैयारी की गयी है, जिसके निस्तारण हेतु लाट बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
5. कुकरैल रेंज के जरहरा वन क्षेत्र में पुराने 04 अदद सागौन वृक्षों के बूट पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है, जो प्रस्तावित कुकरैल नाईट सफारी पार्क से आच्छादित नहीं है।

5– वृक्षों के अवैध पातन व अवैध अभिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा वन क्षेत्रों में सघन गश्त व निरीक्षण की कार्यवाही कर वन अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–8366/35–1 दिनांक 03.05.2025, पत्रांक–30/टी.सी./35–1 दिनांक 09.07.2025, पत्रांक–715/35–1 दिनांक 29.07.2025, पत्रांक–291/टी.सी./35–1 दिनांक 08.10.2025, पत्रांक–436/टी.सी./35–1 दिनांक 12.01.2026, पत्रांक–660/टी.सी./35–1 दिनांक 01.04.2026 द्वारा बिन्दुवार दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं **(संलग्नक–7)**।

6– क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल द्वारा वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर विधिक कार्यवाही की गयी है, जिसके कम में वर्ष 2025–26 में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	रेंज का नाम	विभागीय एच–2 केस संख्या एवं दिनांक	धारा	अपराध का विवरण
1	कुकरैल	01/2025–26 दिनांक 11.04.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
2	कुकरैल	02/2025–26 दिनांक 17.04.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध रूप से शाख–तरासी के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
3	कुकरैल	03/2025–26 दिनांक 06.05.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन पाये जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
4	कुकरैल	04/2025–26 दिनांक 17.05.2026	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
5	कुकरैल	05/2025–26 दिनांक 11.06.2026	उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 यथासंशोधित, 2010 की धारा–10, 21 व 23	अवैध प्रकाष्ठ का भण्डारण पाये जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
6	कुकरैल	06/2025–26 दिनांक 31.07.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10 व अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा–3/28	वृक्षों का अवैध पातन व अभिवहन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
7	कुकरैल	07/2025–26 दिनांक 20.08.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	वृक्षों का अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
8	कुकरैल	08/2025–26 दिनांक 21.08.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	वृक्षों का अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
9	कुकरैल	09/2025–26 दिनांक 29.08.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा–3/28	वृक्षों का अवैध पातन एवं अभिवहन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।

10	कुकरैल	10/2025–26 दिनांक 29.08.2025	उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा–3/28	अवैध अभिवहन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
11	कुकरैल	11/2025–26 दिनांक 25.10.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	वृक्षों का अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
12	कुकरैल	12/2025–26 दिनांक 06.11.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा–3/28	वृक्षों का अवैध पातन पाये एवं अभिवहन जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
13	कुकरैल	13/2025–26 दिनांक 15.11.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	वृक्षों का अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
14	कुकरैल	14/2025–26 दिनांक 18.11.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा–3/28	वृक्षों का अवैध पातन पाये एवं अभिवहन जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
15	कुकरैल	15/2025–26 दिनांक 28.11.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
16	कुकरैल	16/2025–26 दिनांक 04.12.2025	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा–3/28	वृक्षों का अवैध पातन पाये एवं अभिवहन जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
17	कुकरैल	17/2025–26 दिनांक 30.12.2025	भा0व0अ0, 1927 की धारा–26	रसूलपुर सादात, कुकरैल आरिक्षत वन क्षेत्र में अवैध रूप से वाहन द्वारा अपशिष्ट फेंकने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
18	कुकरैल	18/2025–26 दिनांक 03.01.2026	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
19	कुकरैल	19/2025–26 दिनांक 17.01.2026	भा0व0अ0, 1927 की धारा–26	कुकरैल पश्चिमी वन क्षेत्र में वृक्षों को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
20	कुकरैल	20/2025–26 दिनांक 13.02.2026	भा0व0अ0, 1927 की धारा–26क, 26घ, 26ज,52,55,63,69	कुकरैल पूर्वी आरक्षित वन क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा अवैध रूप से वन क्षेत्र के अन्दर से मिट्टी खुदान करने के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
21	कुकरैल	21/2025–26 दिनांक 15.02.2026	भा0व0अ0, 1927 की धारा–26क, 26ज	कुकरैल पूर्वी आरक्षित वन क्षेत्र में बसहा आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त करते समय रसूलपुर सादात की तरफ स्कार्पियो क्लब से अवैध रूप से विद्युत केबल डालने के संबंध में विधिक कार्यवाही की गयी।
22	कुकरैल	22/2025–26 दिनांक 07.03.2026	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
23	कुकरैल	23/2025–26 दिनांक 07.03.2026	भा0व0अ0, 1927 की धारा–26	कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।
24	कुकरैल	24/2025–26 दिनांक 28.03.2026	उ0प्र0वृ0सं0अ0, 1976 की धारा–4/10	अवैध पातन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपर्युक्त शिकायती प्रकरण में श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वन रक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं ससमय विधिक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय कार्यालय के वनादेश संख्या–96/2–42 दिनांक 19.03.2026 **(संलग्नक–8)** द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाते हुए आरोप पत्र निर्गत किया गया है तथा सम्बन्धित सेक्शन प्रभारी श्री प्रशान्त सिंह चौहान, वनविद को क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल ने अपने पत्रांक–361/2–1 दिनांक 31.03.2026 **(संलग्नक–9)** द्वारा कुकरैल पूर्वी सेक्शन से हटाते हुए कुकरैल रेंज कार्यालय से सम्बद्व कर दिया गया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाये गये पुराने 04 स्टम्प (ठूंठ) के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है। निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया। निरीक्षण में पाये गये पुराने 04 स्टम्प (ठूंठ) से संबंधित प्रकाष्ठ बरामदगी, अभियुक्त से प्रतिकर की वसूली तथा ससमय विधिक कार्यवाही न करने हेतु दोषी कार्मिकों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण की गयी है। इसके साथ ही कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र की प्रभावी निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है तथा स्थानीय सूचना तंत्र को भी अधिक प्रभावी बनाया गया है।

प्रकरण में गठित समिति द्वारा की गई जांच आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(सितांशु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या 8091 /33–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, कुकरैल नाईट सफारी पार्क, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितांशु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

संलग्नक संख्या 01

श्री सितान्शु पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा दिनांकः– 30 दिसम्बर, 2025 को कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र का सघन स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्न प्रकार है:–

कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र का सघन स्थलीय निरीक्षणः– शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह एवं श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा यह अवगत कराया गया कि कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान का कार्य चल रहा है एवं अधिक से अधिक संख्या में सागौन एवं शीशम के पेड़ों को काटा जा रहा है। यह सूचना मिलने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.12.2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं संबंधित सेक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी को निर्देशित करते हुए स्वयं मौके स्थल का संयुक्त रूप से सघन स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री अभिषेक पाण्डेय मौजूद रहे एवं उन्होने अवैध कटान दिखाने के लिए अधोहस्ताक्षरी एवं कुकरैल रेंज की टीम को दर्शाये गये स्थल पर ले जाया गया, परन्तु वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ताजा अवैध कटान नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा एवं टीम के द्वारा निरीक्षण में मात्र 02–03 वृक्षों के स्टम्प पाये गये एवं कुछ सूखी/गिरी हुई शाखाएं पायी गयी जो कि संभवतः प्राकृतिक कारणों, बारिश एवं ऑधी से गिरी हुई प्रतीत हुई।

उक्त सघन स्थलीय निरीक्षण उपरान्त वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं संबंधित कार्मिकों को निम्न प्रकर निर्देश दिये गये–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि 01 सुरक्षा श्रमिक की ड्यूटी रात्रि में गश्त हेतु लगायी जाये।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि संबंधित सेक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी निरंतर गश्त की कार्यवाही सतत जारी रखी जाए।
3. यदि आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल अभियुक्तो के विरूद्ध संबंधित थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ–साथ भारतीय वन अधिनियम, 1927 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. प्रभारी वन सुरक्षा बल को निर्देशित किया जाता है कि कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी अवैध कटान एवं अनैतिक गतिविधि न होने पाये इस हेतु कुकरैल रेंज से समन्वय स्थापित करते हुए अपनी टीम के साथ यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी प्रकार से अवैध गतिविधि न होने देना सुनिश्चित किया जाए।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 419/TC/17-1 लखनऊ,दिनांक, 30.12. 2025.

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुंए अनुपालन आख्या उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी वन सुरक्षा बल, अवध वन प्रभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

ANNEXURE R-3 (3)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक 6967/9-1 लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2026

आदेश

निदेशक, कुकरैल नाइट सफारी पार्क, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–144/30–3/कु0ना0स0पार्क/2025–26 दिनांक 18.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त ई–मेल दिनांक 10.02.2026 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के फाइल नं0–9/1/2024–एफ0पी0डी0 (कम्प्यूटर नं0–249066) दिनांक 09.02.2026 श्री आलोक सिंह शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी है। शिकायत वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें संबंधित प्रकरण में विभागीय पक्ष से काउंटर शपथ–पत्र (Counter Affidavit) दाखिल किये जाने हेतु उक्त प्रकरण की संवेदनशीलता एवं अत्यधिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये समस्त बिन्दुओं की विधिवत, तथ्यपरक एवं स्थलीय जांच करते हुये प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट, सुसंगत एवं प्रमाण–पत्र सहित जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिये निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:–

1. श्री चन्दन चौधरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ– अध्यक्ष
2. श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज– सदस्य
3. श्री अतिजीत जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज– सदस्य

उक्त समिति शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये समस्त बिन्दुओं की विधिवत, तथ्यपरक एवं स्थलीय जांच करते हुये प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट, सुसंगत एवं प्रमाण–पत्र सहित जांच करकर जांच आख्या 04 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समयबद्ध रूप से काउंटर शपथ–पत्र (Counter Affidavit) दाखिल किया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 6967/9-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री चन्दन चौधरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ।
2. श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज।
3. श्री अतिजीत जोशी, उप क्षेत्रींय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज द्वारा–क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

O/c

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 7948 / 33-1 (SDO(L)) लखनऊ, दिनांक, अप्रैल, 06 2026.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषयः– कुकरैल वन क्षेत्र में अवैध पांतन हेतु शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में काउंटर शपथ–पत्र दाखिल किये जाने, जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक– 6967 / 9–1 दिनांक 26.02.2026.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कुकरैल वन क्षेत्र में अवैध पातन के संबंध में शिकायतकर्ता श्री आलोक सिंह द्वारा की गई शिकायत के कम में दिनांक 07 मार्च 2026 को श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं श्री अतिजित जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल तथा श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक व अन्य स्टाफ के साथ कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान से संबंधित शिकायती स्थल का सघन निरीक्षण किया गया है। स्थलीय निरीक्षण में 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टम्प (ठूंठ) पाये गये, जिनकी गोलाई कमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0, पायी गयी, किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मिले 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प (ठूंठ) जिनकी गोलाई कमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0 पायी गयी है, के संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–23 / 2025–26 दिनांक 08.03.2026 इजरा करते हुए अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।

अतः समिति द्वारा की गई विस्तृत जॉच आख्या मय संलग्नकों सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चन्दन चौधरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी, वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक–6967/9–1, दिनांक 26.02.2026 द्वारा श्री आलोक सिंह द्वारा की गयी शिकायत, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है, के सम्बन्ध में गठित समिति की जांच रिपोर्टः–

प्रश्नगत प्रकरण में उच्च स्तर से शिकायत प्राप्त होने पर प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने अपने पत्रांक–6967/9–1 दिनांक 26.02.2026 **(संलग्नक–1)** द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया, जिसके कम में उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 07 मार्च 2026 को श्री कमलेश कुमार; क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं श्री अतिजित जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल तथा श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक व अन्य स्टाफ के साथ कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान से संबंधित शिकायती स्थल का सघन निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टम्प (ठूंठ) पाये गये, जिनकी गोलाई कमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0, पायी गयी, किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया।

2– स्थलीय निरीक्षण के दौरान उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्रांक–571/9–1 एस0डी0ओ0–एल0, दिनांक 07.03.2026 **(संलग्नक–2)** द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निम्न प्रकार कार्यवाही के निर्देश दिये गये–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान मिले 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प (ठूंठ) जिनकी गोलाई कमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0 पायी गयी, के संबंध में तत्काल वन अधिनियमों के अनुसार नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. प्रकाष्ठ बरामदगी हेतु संदिग्ध क्षेत्रों में औचक छापा/गश्त की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
3. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में कोई अवैधानिक गतिविध न हो इस हेतु मुखबिर तंत्र/स्थानीय निगरानी, ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया जाए।
4. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि न हो इस हेतु रेंज स्तर पर टीम गठित कर वन क्षेत्र की नियमित गश्त/निगरानी की कार्यवाही की जाए।
5. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र की सभी प्रवेश एवं निकास द्वार पर कार्मिको की ड्यूटी लगाकर 24 घण्टे सतत् निगरानी बरती जाए।
6. संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
7. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए तथा सूखे एवं आंधी–तूफान में गिरे उखड़े पेड़ो की प्रकाष्ठ का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

3– उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज ने अपने पत्रांक–364/2–1 दिनांक 01.04.2026 **(संलग्नक–3)** द्वारा आख्या प्रेषित करते हुए निम्न प्रकार अवगत कराया गया है–

(क) उक्त प्रकरण में कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र जरहरा मंदिर के पीछे वन क्षेत्र में 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प बूट गोलाई 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0 एवं 0.52 मी0 पाये गये थे, जिसके कम में श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक/बीट प्रभारी, कुकरैल पूर्वी द्वारा मौके की जांच कर कुकरैल रेंज एच–2 केस संख्या–23/2025–26, दिनांक 08.03.2026 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–26 के अन्तर्गत केस इजरा कर विधिक कार्यवाही की गई।

(ख) उक्त प्रकरण में जारी कुकरैल रेंज एच–2 केस संख्या–23/2025–26, दिनांक 08.03.2026 की जांच हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल द्वारा श्री विवेक तिवारी, वन दरोगा, कुकरैल रेंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.2026 के अनुसार उक्त केस से सम्बन्धित प्रकाष्ठ बरामद कर लिया गया है तथा बरामद प्रकाष्ठ अभिलेखों में दर्ज कर उसके निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त से प्रतिकर स्वरूप धनराशि रू 32000.00 (रू0 बत्तीस हजार मात्र) ई–3 संख्या–4414/029 दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया।

(ग) क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज ने अपने कार्यालय पत्रांक–341/2–1, दिनांक 10.03.2026 **(संलग्नक–4)** द्वारा रेंज स्तर पर निम्न प्रकार टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र की सतत् निगरानी की जा रही है–

क0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	समय
1	श्री दिनेश कुमार, वन दरोगा (टीम लीडर) श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक श्री दिलीप सिंह, माली	रात्रि में गस्त (समय सायं 07 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक)
2	श्री विवेक तिवारी, वन दरोगा (टीम लीडर) श्री राम मिलन, माली श्री गंगाशरण, माली	दिन में गस्त (समय प्रातः 07 बजे से सायं 07:00 बजे तक)

(घ) सेक्शन प्रभारी व बीट प्रभारी, कुकरैल पूर्वी द्वारा कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए सूखे एवं आंधी–तूफान में गिरे उखड़े पेड़ो/प्रकाष्ठ का चिन्हांकन करते हुए सूची तैयारी की गयी है, जिसके निस्तारण हेतु लाट बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

4– उपर्युक्त शिकायती प्रकरण में श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वन रक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं ससमय विधिक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय कार्यालय के वनादेश संख्या–96/2–42 दिनांक 19.03.2026 **(संलग्नक–5)** द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाते हुए आरोप पत्र निर्गत किया गया है तथा सम्बन्धित सेक्शन प्रभारी श्री प्रशान्त सिंह चौहान, वनविद को क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल ने अपने पत्रांक–361/2–1 दिनांक 31.03.2026 **(संलग्नक–6)** द्वारा कुकरैल पूर्वी सेक्शन से हटाते हुए कुकरैल रेंज कार्यालय से सम्बद्व किया गया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाये गये पुराने 04 स्टम्प (ठूंठ) के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है। निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया। निरीक्षण में पाये गये पुराने 04 स्टम्प (ठूंठ) से संबंधित प्रकाष्ठ बरामदगी, अभियुक्त से प्रतिकर की वसूली तथा ससमय विधिक कार्यवाही न करने हेतु दोषी कार्मिकों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण की गयी है। इसके साथ ही कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र की प्रभावी निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है तथा स्थानीय सूचना तंत्र को भी अधिक प्रभावी बनाया गया है।

(अतिजित जोशी)
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल।

(कमलेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल।

(चन्दन चौधरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

ANNEXURE R-5

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 571 /9-1 S.O.D.(L) लखनऊ, दिनांक, मार्च, 07 2026.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषयः– शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के बिंदुओ की जांच कर आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

संदर्भः– आपका आदेश पत्रांक–6967/9–1 दिनांक 26.02.2026.

महोदय,

आपके आदेश पत्रांक–6967/9–1 दिनांक 26.02.2026 के क्रम में श्री आलोक सिंह, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायत जो वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07 मार्च 2026 को श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल एवं श्री अतिजित जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल तथा श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक व अन्य स्टाफ के साथ कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान से संबंधित शिकायती स्थल का सघन निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टम्प (ठूंठ) पाये गये, जिनकी गोलाई क्रमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0, पायी गयी, किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निम्न प्रकार कार्यवाही के निर्देश दिये गये–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान मिले 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प (ठूंठ) जिनकी गोलाई क्रमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0 पायी गयी, के संबंध में तत्काल वन अधिनियमों के अनुसार नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. प्रकाष्ठ बरामदगी हेतु संदिग्ध क्षेत्रों में औचक छापा/गश्त की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
3. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में कोई अवैधानिक गतिविध न हो इस हेतु मुखबिर तंत्र/स्थानीय निगरानी, ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया जाए।
4. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि न हो इस हेतु रेंज स्तर पर टीम गठित कर वन क्षेत्र की नियमित गश्त/निगरानी की कार्यवाही की जाए।
5. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र की सभी प्रवेश एवं निकास द्वार पर कार्मिको की ड्यूटी लगाकर 24 घण्टे सतत् निगरानी बरती जाए।
6. संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
7. कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए तथा सूखे एवं आंधी–तूफान में गिरे उखड़े पेड़ो की प्रकाष्ठ का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 07.03.2026 तक उक्त 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टम्प (ठूंठ) के संबंध में संबंधित बीट प्रभारी द्वारा समय से कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी व न ही प्रकरण को समय रहते अपने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि बीट प्रभारी द्वारा अपने राजकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया बीट प्रभारी की लापरवाही परिलक्षित होती है। अतः बीट प्रभारी के विरूद्ध राजकीय दायित्वों में घोर लापरवही, उदासीनता एवं कर्तव्यपरायणता से राजकीय दायित्वों का निर्वहन न करने के संबंध में बीट प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती है। इसी प्रकार संबंधित सेक्शन प्रभारी द्वारा भी कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण कठोर चेतवानी निर्गत करनें की संस्तुति की जाती है।

(चन्दन चौधरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या 571/9-1.S.O.D.(L)/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें।

(चन्दन चौधरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

ANNEXURE R-6

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ (उ0प्र0)

(पिकनिक स्पाट रोड) सी.यू.जी. मो.नं. : 7839434285

पत्रांक– 364 /2–1 दिनांक 01 अप्रैल, 2026

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

विषयः– शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के बिन्दुओं की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–571/9–1 SDO (L), दिनांक 07.03.2026 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–343/2–1, दिनांक 14.03.2026।

महोदय,

कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में दिनांक 07.03.2026 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1. उक्त प्रकरण में कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र जरहरा मंदिर के पीछे वन क्षेत्र में 04 सागौन वृक्षों के स्टम्प बूट गोलाई 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0 एवं 0.52 मी0 पाये गये थे। श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक/बीट प्रभारी, कुकरैल पूर्वी द्वारा मौके की जांच कर कुकरैल रेंज एच–2 केस संख्या–23/2025–26, दिनांक 08.03.2026 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–26 के अन्तर्गत केस इजरा कर विधिक कार्यवाही की गई।
2. उक्त प्रकरण में जारी कुकरैल रेंज एच–2 केस संख्या–23/2025–26, दिनांक 08.03.2026 की जांच हेतु श्री विवेक तिवारी, वन दरोगा, कुकरैल रेंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.2026 के अनुसार उक्त केस से सम्बन्धित प्रकाष्ठ बरामद कर लिया गया है तथा बरामद प्रकाष्ठ के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सी–17 में दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त से प्रतिकर स्वरूप धनराशि रू 32000.00 ई–3 संख्या–4414/029, दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
3. इस कार्यालय के पत्रांक–341/2–1, दिनांक 10.03.2026 द्वारा रेंज स्तर पर टीम का गठन किया गया है जिसके द्वारा वन क्षेत्र की सतत निगरानी की जा रही है।
4. सेक्शन प्रभारी व बीट प्रभारी, कुकरैल पूर्वी द्वारा कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए सूखे एवं आंधी–तूफान में गिरे उखड़े पेड़ो/प्रकाष्ठ का चिन्हांकन करते हुए सूची तैयार की गयी है। प्रकाष्ठ के निस्तारण हेतु लाट बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वन रक्षक द्वारा ससमय विधिक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–314/2–1, दिनांक 12.02.2026 द्वारा कुकरैल पूर्वी बीट से हटा दिया गया है। सम्बन्धित सेक्शन प्रभारी श्री प्रशान्त सिंह चौहान, वनविद को इस कार्यालय के पत्रांक–361/2–1, दिनांक 31.03.2026 द्वारा कुकरैल पूर्वी सेक्शन से हटाते हुए कुकरैल रेंज कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(कमलेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल रेंज।

ANNEXURE R-7

19-[illegible] /01 [illegible]

फाम नं० एच 2

प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग

आज दिनांक 30/[illegible]

क्षेत्रीय निदेशक, अवध क्षेत्र

अवध वन प्रभाग

पुस्तक सं० 40 क्रम सं० 44

अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 दिनांक 08-03-2026 रेंज कुकरैल बीट पूर्वी

रिपोर्ट नं० रेंज केस नं० 23/2025-26 वर्ष 2026

1. अभियुक्तों के नाम पिता का नाम व पता — अज्ञात

2. गवाहों के नाम आत्मज तथा पता — श्री विजय कुमार, न्यूनतम वेतन कर्मी

3. कथित अपराधों का पूरा विवरण — दिनांक 07.03.2026 को कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र जरहरा मन्दिर के पीछे वन क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में 05 अदद सागौन वृक्षों के ठूंठ पाये गये। दिनांक 08-03-2026 को समय प्रातः 11 बजे मेरे द्वारा हमराही के साथ उक्त वन क्षेत्र में ठूंठ से संबंधित प्रकाष्ठ की खोजबीन की गई किन्तु ठूंठ से संबंधित कोई प्रकाष्ठ नहीं पाया गया। 05 अदद सागौन वृक्षों के ठूंठ की माप 0.28 मी०, 0.51 मी०, 0.49 मी० व 0.52 मी० है। उक्त के विरुद्ध म-2 केस दर्ज करते हुये भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-26 के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया है तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यॉंकन — 0-10 सेमी० वर्ग सागौन वृक्ष 01 अदद
मुआवजा — 10-20 सेमी० वर्ग सागौन वृक्ष 03 अदद

मूल्यांकन 1x209 + 3x945 = 3124.00
अथवा रु0-3200=00

6. बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान — का 10 गुना रु0-32,000=00 प्रतिकर कुकरैल रेंज परिसर [illegible] किया गया।

7. चालान तथा जॉंच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ — विभागीय जॉंच

Nishchay Mishra

दिनांक 08-03-2026

केस जारी करने वाले के हस्ताक्षर

पद Nishchay Mishra

वि०कु०-02 नि०ल०-02
R.C. No. 23/2025-26

अन्तिम जाँच रिपोर्ट :-

कुकरैल रेंज केस संख्या–23/2025–26 की जांच मेरे द्वारा की गयी। उक्त केस में कुकरैल पूर्वी आरक्षित वन क्षेत्र जरहरा मंदिर के पीछे वन क्षेत्र में 04 अदद सागौन वृक्ष के बूट पाये जाने सम्बन्धित प्रकरण में श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक/बीट प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गयी। जांच में 04 अदद काफी पुराने एवं सूखे सागौन वृक्षों के कटे बूट पाये गये, जिनकी माप 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0 व 0.52 मी0 है। उक्त प्रकरण में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ एवं जानकारी करने पर छोटई पुत्र राम वालक, निवासी कुर्सी रोड, रजौली, थाना गुडम्बा लखनऊ का नाम प्रकाश में आया। उक्त व्यक्ति को रेंज कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गयी। उक्त व्यक्ति द्वारा पूछताछ में वताये गये स्थल जरहरा नाले के किनारे से सागौन बूट प्रकाष्ठ बराभद किया गया। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया गया एवं विभागीय फैसला करते हुए कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

अतः कुकरैल रेंज केस संख्या–23/2025–26 में अभियुक्त से उचित प्रतिकर प्राप्त कर केस के प्रशमन की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उक्त केस मय बयान सहित।

विवेचक

विवेक तिवारी 30/3/2026
(विवेक तिवारी)
वनविद/सेक्शन प्रभारी,
कुकरैल पश्चिमी सेक्शन
कुकरैल रेंज।

ANNEXURE R-8

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 4252 / 22-1 लखनऊ, दिनांक, अप्रैल, 16 2026.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,
कुकरैल नाईट सफारी पार्क,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः— शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के बिंदुओ की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय की पत्र संख्या—4217/22—1 दिनांक 13.04.2026 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ की पत्र संख्या—.8183/33—1 दिनांक 15.04.2026.

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.04.2026 (जो आपको सम्बोधित है) के माध्यम से अभिलेख प्रेषित किये गये हैं। उक्त की प्रतियां संलग्न कर निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है—

1. कुकरैल रेंज एच—2 केस संख्या—23/2025—26, दिनांक 08.03.2026 की छायाप्रति।
2. अभियुक्त का नाम—छोटई पुत्र राम बालक, निवासी कुर्सी रोड, रजौली, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. उक्त केस से सम्बन्धित प्रकाष्ठ कुकरैल रेंज परिसर में रखी हुई है।
4. ब्यास वर्ग 0—10 के मध्य 01 अदद सागौन वृक्ष तथा 10—20 के मध्य 03 अदद सागौन वृक्ष। अनुसूचित दरों के अनुसार रू0 289.00 X 1 + 945.00 X 3= 3124.00 अथवा रू0 3200.00 (रू0 तीन हजार दो सौ मात्र) का 10 गुना रू0 32000.00 प्रतिकर स्वरूप प्राप्त किया गया।
5. लकड़ी/निरीक्षण की फोग्रोग्राफ संलग्न है।
6. सूची संलग्न है।
7. आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांक 651/टी0सी0/22—20 दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रशमित।
9. बयान की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नकः—यथोपरि।

KNS (Offs)
16/04/26

भवदीया,

(डॉ0 रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

बयान

R.C.No. 23/2025-26

ANNEXURE R-9

मैं छोटई S/o राम बालक नि. कुर्सी रोड, रजौली, थाना-गुडम्बा जिला लखनऊ का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे अपने निजी कार्य हेतु लकड़ी की जरूरत थी। मेरे द्वारा जरहरा वन ब्लाक में स्थित मंदिर के पीछे 4 अदद सागौन के सूखे वृक्षों को काटा गया और सुरक्षा के भय से लकड़ी काटकर नाले के पास रख दिया। जंगल में सूखे वृक्षों को काटना अपराध है, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और विभागीय फैसला चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में ऐसा कार्य कभी नहीं करूँगा।

उक्त बयान मैंने बिना किसी जोर दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में दिया। बयान सुनकर अपने अंगूठे की छाप लगाई। यही मेरा बयान है।

उपरोक्त बयान मेरे द्वारा लिया एवं लिखा गया।
Vivek Tiwari
(विवेक तिवारी)
वनविद/क्षेत्र अधिकारी
कुकरैल रेंज
30/3/2026

Nirbhay Mishra
1. गवाह — (निर्भय मिश्रा)
व०र०
कुकरैल पूर्वी बीट: रेंज-कुकरैल

विजय कुमार
2. गवाह —: (विजय कुमार)
न्यूनतम वेतन कर्मी

बयान कर्ता

(छोटई S/o राम बालक)
कुर्सी रोड
रजौली थाना-गुडम्बा
जनपद-लखनऊ

Phone/Fax: 0522-2716602
E-Mail: ccflucknowzone@gmail.com

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः— 793 / लखनऊ, दिनांकः 13 अगस्त, 2020

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अवध वन प्रभाग, लखनऊ
पंजी संख्या 1126
फाइल संख्या 22-3
दिनांक 28/8/20

विषयः— **वृक्षों की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण।**

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 2750/22–3 दिनांक–01.10.2015 द्वारा वृक्षों की अनुसूचित दरें निर्धारित की गयी थी। प्रकाष्ठ की बढ़ती माँग व मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक–13.08.2020 को वृक्षों की अनुसूचित दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, लखनऊ मण्डल से विचार विमर्श के उपरान्त वृक्षों की अनुसूचित दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है। उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाग से लागू मानी जायेंगी। कृपया वृक्षों की पुनरीक्षित दरों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(आर0 के0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।

RC

संख्या /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल/बुन्देल खण्ड।
7. महाप्रबन्धक, उत्पादन, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
8. वन संरक्षक, सरयू क्षेत्र, अयोध्या।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ क्षेत्र/केन्द्रीय क्षेत्र, लखीमपुर खीरी।
10. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ/लखीमपुर खीरी।
11. राजस्व शाखा/शिविर शाखा।

तत्काल

संलग्नक—यथोपरि।

(आर0 के0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 1721/22-3 (अनु.रु.) दि० 1/9/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उपरोक्त दिए गये निर्देशों के पालन हेतु प्रेषित—
(1) उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज एवं लखनऊ।
(2) समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
(3) आशुलिपिक, अवध वन प्रभाग, लखनऊ/गार्ड बुक।

D:\RC\Circle office\General Letters\2020\August\14.doc

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ

सामाजिक वानिकी लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ के लिए वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी प्रस्तावित अनुसूचित दरें

क्र0 स0	वृक्षों की प्रजाति	विभिन्न से0मी0 व्यास वर्ग के वृक्षों की अनुसूचित दरें मूल्य (रू0 में)							
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से ऊपर
1	साल	252	866	3071	11067	20921	36923	54143	79984
2	सागौन	289	945	3717	14175	28350	48904	74419	109856
3	शीशम	236	830	2956	9450	17131	31185	47250	61425
4	पापुलर	95	473	1302	2835	3544	5198	7088	10631
5	खैर	446	1276	2783	12810	26581	40940	63971	76781
6	जामुन, सिरस	184	410	1538	4137	6799	12941	15750	23625
7	असना	173	462	1733	6027	12905	22565	33616	54810
8	आम, महुआ, नीम, तनु,बहेड़ा, चिलबिल, हर्रा, इमली।	210	289	919	3071	6169	10306	15530	21709
9	कुकाट, जंगल जलेबी, कंजी, बरगद, गूलर, पीपल, बेल, अर्जून, अकेसियास्यामिया आदि	105	236	919	2074	3691	6447	8295	11513
10	प्रोसोपिस, बैर, सुबबूल	79	263	525	1339	3008	5198	7376	9214
11	कोमल काष्ठ–कंजु, मलबरी, गुटेल, झींगन, खरपत, पूलम्, बाकली, बौरंग, छावड़ी, पूला, सेमल, हल्दू (हरा)	95	357	2336	4373	8033	12285	16301	24806

क्र0 स0	वृक्षों की प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 मूल्य (रू0 में)							
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
12	यूकेलिप्टस	75	100	415	990	1825	2890	4200	5765
		40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80
		7565	9650	11950	14490	17290	20315	23500	27125
		80-85	85-90	90 से ऊपर					
		30900	34915	34075					

नोटः–

1 उर्पयुक्त दरें केवल हरे (खड़े या उखड़े) ठोस (साउण्ड) वृक्षों के लिए देया होगी। सूखे (खड़े या उखड़े) वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों का 3/4 तथा योग्य (फिट) और आयोग्य (अनफिट) हरे (खड़े या उखड़े) की दरें कमश 2/3 तथा 1/3 होगा।

2 खैर की दरें (खड़े या उखड़े) योग्य (फिट) वृक्षों के लिए है। अयोग्य (अनफिट) वृक्षों की दरें योग्य (फिट) का 1/2 होगी।

3 अवैध कटान पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे।

4	जलौनी लकड़ी दरें:–	1– साखू रू0 700.00 प्रति कुन्तल
		2– अन्य प्रजाति रू0 500.00 प्रति कुन्तल
		रू0 600.00 प्रति बैलगाड़ी (साधारण)
5	घास–छप्पर बन्दी की दरें:–	रू0 1125.00 प्रति बैलगाड़ी (साधारण)
		रू0 2000.00 प्रति ट्रैक्टर ट्राली
6	बाँस की दरें:–	रू0 1150.00 प्रति 20 नग (कोठी)

उक्त दरें लखनऊ मण्डल के अवध, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली एवं दक्षिण खीरी प्रभागों पर तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

(डा0 अनिरूद्व पाण्डेय) प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग,सीतापुर/उन्नाव	(श्री तुलसी दास) प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग, रायबरेली	(श्री समीर कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग	(श्री राकेश चन्द्रा) प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग, हरदोई	(डा0 रवि कुमार सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ

(आर0 के0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल लखनऊ

ANNEXURE R-11

वृक्ष लगाकर प्राणी मात्र का भविष्य सुनिश्चित करें। वन प्रपत्र सं0–ई–3

उप प्रभागीय वनाधिकारी

क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलाल गंज अवध वन प्रभाग, लखनऊ

[illegible] No-08 of Kull 03/2026

069

पुस्तक संख्या 4414 क्रम संख्या ....

प्राप्त किया छोटई S/o राम बालक, कुर्सी रोड, रजौली, थाना-गुडम्बा, जि० लखनऊ से

रुपये बत्तीस हजार मात्र।

बावत रेंज केस सं०-23/2025-26 का प्रतिकर

रुपये 32,000-00

दिनांक 30-03-2026

क्षेत्रीय वन अधिकारी
वनाधिकारी बक्शी का तालाब / कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 651 /T.C/22-26 लखनऊ, दिनांक 30.03.2026

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
[illegible] रेंज

विषय– एच–2 केसों का निस्तारण।

आपके रेंज के निम्नलिखित एच–2 केसों को आपके तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के आधार पर प्रशमित/निस्तारित कर दिया गया है आपको निम्नानुसार संलग्न एच-2 केस भेजे जा रहे हैं जिन्हें रेंज अभिलेखों में सुरक्षित संधारित करें। [illegible] से C-1 में स्थानान्तरित आदेश निर्गत किए जाएं।

क्र0सं0	एच–2 केस संख्या	धनराशि
(1)	436/23/2025-2026	32,000/-

उपरोक्त केसों को अपने रेंज के एच–2 रजिस्टर में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 651 /T.C/22-26 दिनांकित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ/मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

बिन्दु सं०-04 नीलाम-4

रेंज केस सं०- 23/2025-26

में आच्छादित प्रकाष्ठ/वृक्ष का मूल्यांकन-

(1) 0-10 cm तक का सागौन वृक्ष 01 अदद
(2) 10-20 cm तक का सागौन वृक्ष 03 अदद

मूल्यांकन-

1×289 = 289=00
3×945 = 2835=00
योग - 3124=00
अर्थात 3200=00 रुपये।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

ANNEXURE R-12

बिन्दु सं०-03 – 3

बिन्दु क्र.- 05 संलग्नक-05

कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत हरे, सूखे खड़े व गिरे वृक्षों की सूची :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई (मी० में)	व्यास वर्ग	श्रेणी	दशा
1	सागौन	0.45	10-20	U	हरा गिरा
2	सागौन	0.56	10-20	U	हरा गिरा
3	शागौन	0.46	10-20	U	हरा गिरा
4	प्रोसोपिस	0.46	10-20	U	सूखा गिरा
5	सबबूल	0.46	10-20	U	सूखा गिरा
6	सागौन	0.49	10-20	U	सूखा गिरा
7	कुकाट	0.65	20-30	U	सूखा खड़ा
8	चिलबिल	1.20	30-40	U	सूखा गिरा
9	खैर	0.85	20-30	U	सूखा खड़ा
10	खैर	1.37	40-50	U	सूखा खड़ा
11	रेउंज	1.10	30-40	U	सूखा खड़ा
12	सागौन	0.45	10-20	U	सूखा गिरा
13	सागौन	0.42	10-20	U	सूखा गिरा
14	सागौन	0.46	10-20	U	सूखा खड़ा
15	रेउंज	1.00	30-40	U	सूखा खड़ा
16	रेउंज	0.95	30-40	U	सूखा खड़ा
17	शीशम	1.41	40-50	U	सूखा खड़ा
18	कुकाट	0.70	20-30	U	सूखा खड़ा
19	कुकाट	1.00	30-40	U	सूखा खड़ा
20	कुकाट	1.20	30-40	U	सूखा खड़ा
21	कुकाट	1.32	40-50	U	सूखा खड़ा
22	रेउंज	0.75	20-30	U	सूखा खड़ा
23	शीशम	1.08	30-40	U	सूखा खड़ा
24	कुकाट	1.30	40-50	U	सूखा खड़ा
25	कुकाट	0.86	20-30	U	सूखा खड़ा
26	सागौन	0.37	10-20	U	हरा गिरा
27	रेउज	0.77	20-30	U	सूखा खड़ा
28	सागौन	0.48	10-20	U	हरा गिरा
29	शीशम	1.00	30-40	U	सूखा खड़ा

Nirmay ... व०र० कुकरैल पूर्वी बीट

दिनेश कुमार व०र०

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत हरे, सूखे खड़े व गिरे वृक्षों की सूची :–

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई (मी० में)	व्यास वर्ग	श्रेणी	दशा
30	शीशम	1.00	30-40	U	सूखा खड़ा
31	शीशम	1.02	30-40	U	सूखा खड़ा
32	शीशम	1.00	30-40	U	सूखा खड़ा
33	युकाट	0.95	30-40	U	सूखा खड़ा
34	सागौन	0.56	10-20	U	सूखा गिरा
35	शीशम	1.20	30-40	U	सूखा खड़ा
36	शीशम	0.70	20-30	U	सूखा खड़ा
37	शीशम	1.40	40-50	U	सूखा खड़ा
38	प्रोसोपिस	0.90	20-30	U	सूखा गिरा
39	चिलबिल	1.45	40-50	U	सूखा खड़ा
40	शीशम	1.20	30-40	U	सूखा खड़ा
41	शीशम	0.95	30-40	U	सूखा खड़ा
42	शीशम	0.85	20-30	U	सूखा खड़ा
43	शीशम	0.71	20-30	U	सूखा खड़ा
44	शीशम	0.62	10-20	U	सूखा खड़ा
45	शीशम	0.86	20-30	U	सूखा खड़ा
46	शीशम	1.40	40-50	U	सूखा खड़ा
47	सुबबूल	0.78	20-30	U	सूखा गिरा
48	सुबबूल	0.78	20-30	U	हरा गिरा
49	शीशम	1.08	30-40	U	सूखा खड़ा
50	शीमश	0.78	20-30	U	सूखा खड़ा
51	शीशम	0.88	20-30	U	सूखा खड़ा
52	शीशम	1.05	30-40	U	सूखा खड़ा
53	शीशम	0.93	20-30	U	सूखा खड़ा
54	शीशम	0.87	20-30	U	सूखा खड़ा
55	शीशम	1.28	40-50	U	सूखा खड़ा
56	सागौन	0.45	10-20	U	हरा गिरा
57	कुकाट	0.97	30-40	U	सूखा गिरा
58	कुकाट	1.10	30-40	U	सूखा खड़ा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

ANNEXURE
R-14

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ (उ0प्र0)

(पिकनिक स्पाट रोड) सी.यू.जी. मो.नं. : 7839434285

पत्रांक– 341 /2–1 दिनांक 10, मार्च, 2026

आदेश :–

कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान, अवैध खनन, अवैध शिकार एवं अवैध अभिवहन से सम्बन्धित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता है :–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	समय
1	श्री दिनेश कुमार, वन दरोगा (टीम लीडर) श्री निर्भय मिश्रा, वन रक्षक श्री दिलीप सिंह, माली	रात्रि में गस्त (समय सांय 07 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक)
2	श्री विवेक तिवारी, वन दरोगा (टीम लीडर) श्री राम मिलन, माली श्री गंगाशरण, माली	दिन में गस्त (समय प्रातः 07 बजे से सांय 07 बजे तक)

1. उक्त टीम वन क्षेत्र में अवैध गतिविधि/प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
2. वन क्षेत्र से लगे क्षेत्रों/ग्रामवासियों से सम्पर्क कर सूचना तंत्र विकसित करेंगे।.
3. उक्त टीम कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र के सभी प्रवेश एवं निकास द्वार पर सघन निगरानी गश्त करेगी।
4. उक्त टीम कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर सप्ताहिक प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगी।

(कमलेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल रेंज।

पत्रांक– 341 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्रांक–571/9–1, SDO(L), दिनांक 07.03.2026 के अनुपालन में।
3. उक्तानुसार नामित कर्मचारी, कुकरैल रेंज द्वारा कार्यालय प्रभारी, कुकरैल रेंज।

(कमलेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल रेंज।

ANNEXURE R-15

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आदेश संख्या 96 /2–42 लखनऊ, दिनांक, 19-3-, 2026

आदेश

श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक कुकरैल रेंज के अन्तर्गत पूर्वी बीट में बीट प्रभारी के रूप में दिनांक 11–08–2021 से वर्तमान तक कार्यरत है। उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ ने अपनी पत्र संख्या 571/ 9–1 (एस0डी0ओ0एल0) दिनांक 07–03–2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री आलोक सिंह, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायत जो वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, के सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 07–03–2026 को श्री कमलेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज एवं श्री अतिजित जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल तथा श्री निर्भय मिश्रा, वनरक्षक व अन्य स्टाफ के साथ कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान से सम्बन्धित शिकायती स्थल का सघन निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टाम्प (ठूंठ) पाये गये, जिनका गोलाई कमशः 0.28 मी0, 0.41 मी0, 0.49 मी0, 0.52 मी0 पायी गयी, किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई ताजा अवैध कटान का मामला प्रकाश में नहीं आया।

दिनांक 07–03–2026 तक उक्त 04 सागौन वृक्षों के पुराने स्टाम्प (ठूंठ) के सम्बन्ध में आपके द्वारा समय से कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी और न ही प्रकरण को समय रहते अपने उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि बीट प्रभारी के रूप में आपके द्वारा अपने राजकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया आपकी लापरवाही परिलक्षित होती है। उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ ने अपनी पत्र संख्या 571/9–1(एस0डी0ओ0एल0) दिनांक 07–03–2026 द्वारा श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक पूर्वी बीट प्रभारी के विरूद्ध राजकीय दायित्वों में घोर लापरवाही उदासीनता, कर्तव्यपरायणता से राजकीय दायित्वों का निर्वहन न करने के सम्बन्ध में श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक पूर्वी बीट प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करते हुए निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जो राजकीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में क़र्तव्यविमुखता, घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक द्वारा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 का उल्लंघन करते हुए पूर्वी बीट के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना कर निष्ठापूर्वक अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जो राजकीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, कर्तव्यविमुखता, उदासीनता व अनुशासनहीनता का द्योतक है। इस हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवा नियमावली–3 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक के विरूद्ध आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदित करते हुए एम0जी0ओ0 के पैरा–75 के अन्तर्गत विषयगत मामले में श्री चन्दन चौधरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अतः जांच अधिकारी को सी0सी0ए0 के नियम–55 के प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजना पक्ष का लिखित एव मौखिक साक्ष्य ग्रहण करें, यदि आरोपित कर्मचारी चाहें तो उसे साक्षात्कार हेतु बुलाकर अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये जांच आख्या यथा शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

पत्रांक 7610 / 2-42 दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री चन्दन चौधरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को अनुमोदित आरोप पत्र की दो प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया आरोप पत्र में नियत स्थान पर हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करके श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक को उक्त आरोप पत्र तामिल करा दें, तथा प्रकरण में अपनी जांच आख्या शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज।
प्रतिलिपि श्री हिमांशुतोष कुमार पाण्डेय, वनरक्षक द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज।
प्रतिलिपि अधिष्ठान लिपिक/गार्ड बुक।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

ANNEXURE R-16

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुकरैल रेंज,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ (उ0प्र0)

(पिकनिक स्पाट रोड) सी.यू.जी. मो.नं. : 7839434285

पत्रांक– 361 / 2-1 दिनांक 31, मार्च, 2026

आदेश :–

कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र जरहरा मंदिर के पीछे वन क्षेत्र में 04 अदद सागौन वृक्ष के बूट पाये जाने सम्बन्धित प्रकरण में समय से आवश्यक विधिक कार्यवाही न किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक श्री प्रशान्त सिंह चौहान, वनविद को कुकरैल रेंज कार्यालय से सम्बद्व किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(कमलेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल।

उक्त पत्रांक एवं तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ को पत्र दिनांक 07.03.2026 के अनुपालन में।
3. श्री प्रशान्त सिंह चौहान, वनविद को इस निर्देश के साथ कि आप कुकरैल पूर्वी सेक्शन का समस्त चार्ज श्री दिनेश कुमार, वनविद को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री दिनेश कुमार, वनविद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप कुकरैल पूर्वी सेक्शन का समस्त चार्ज श्री प्रशान्त सिंह चौहान, वनविद से प्राप्त कर चार्ज नोट की एक प्रति रेंज कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. बीट प्रभारी, कुकरैल पूर्वी एवं पश्चिमी।

प्राप्त किया
(प्रशान्त सिंह चौहान)
व0वि0

(कमलेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल।